फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

गिर्राज बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा

किस्म मुकदमा— प्रा0पत्र 128 एल.आर.एक्ट मु0नं0— 26/2023

पीठासीन अधिकारी— यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/3/24	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 283, 82,156, 288, 289, 289/789, 81, 90 वाके रामा गढ तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात के पडोसी खातेदारान प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 81, 82 एवं 90 को कब्जे कर भूमि को दबाना चाहते है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2017 को किया जा चुका है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 81, 82 एवं 90 में पत्थरगढी कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में से खसरा नम्बर 81 एवं 82 का सीमाज्ञान किया जा चुका है तथा खसरा नम्बर 90 का सीमाज्ञान नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 81 एवं 82 वाके ग्राम गढ तह0 बहरावण्डा में पत्थरगढी कायम करने क आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	